

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/12/24

पशावली पैरा में ली गई। अवलोकन किया गया। वाफ पत्र 2007 में इस न्यायालय में दाखल कर दफ्तर कार्यरत किया गया। पशावली में प्रार्थना पत्र पेश हुए। बार बार अवसर दिए गए। कॉले पर अवसर भी दिए गए। विती का प्रवाल पेश हुआ जो विती का नहीं। वाही पत्र को तलबी पूर्ण के पर्याप्त अवसर दिए गए। अधिकांश तक पशावली तलबी स्तर पर लंबित ही राजस्व न्यायालयों में लंबित राख प्रकरणों में शीघ्रतापूर्ण मुकामगुण आचार्य पर निस्तारण के निर्देश दिए। प्रतीत होता है कि ना तो वाही पत्र और ना ही प्रतिवाही पत्र उत्तमगत प्रकरण आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पर कि पशावली अवलोकन व वाफ होयरा समयवधि से निपट है। अतः एक वाफ पत्र को तलबी स्तर पर लंबित नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा वाफ पत्र को अदक पैरा में और अदक हाजरी में खारिज किया जाता है। पशावली नंबर के कम की जाऊ कारिषय कपलर की जाती है।

*(Signature)*

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड जरी  
हनुमान